41–(08)–42–2018

पटना में दिनांक–29 मई, 2018 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	पथ निर्माण विभाग	
1.	संविदा के आधार पर पथ निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 88 (अठासी) कनीय अभियंता (असैनिक) एवं पूर्व में कार्यरत रहे एक कनीय अभियंता (असैनिक) कुल 89 (नवासी) कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष तक पुनर्नियोजन के संबंध में।	1. **स्वीकृत।**
	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	
2.	वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल ₹4031.6436 लाख (चालीस करोड़ एकतीस लाख चौसठ हजार तीन सौ साठ) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों सहित सपोर्टिक पद का सृजन, आधारभूत संरचना का विकास एवं अन्य विविध कार्यों पर होने वाले व्यय की स्वीकृति।	2. **स्वीकृत।**
	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	
	(निबंधन)	
3.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम xxi) की धारा–24 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1965 एवं 2015 को निरसित (Repeal) करते हुए बिहार सोसाइटी निबंधन नियमावली, 2018 को अधिनियमित/विनियमित किये जाने के संबंध में।	3. **स्वीकृत।**
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–31 (बख्तियारपुर–खगड़िया) के 4 लेनिंग परियोजना हेतु पटना जिलान्तर्गत अंचल–मोकामा के मौजा–कसहा दियारा उर्फ मरॉची दियारा, चादर नं०–02, थाना सं०–10, खेसरा सं०–19, 20 एवं 235 में रकबा क्रमशः–4.5568 हे०, 1.1340 हे० एवं 0.3939 हे०, कुल रकबा–6.0847 हे० अर्थात 15.035 एकड़ असर्वेक्षित खासमहाल भूमि "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	4. **स्वीकृत।**
	स्वास्थ्य विभाग	
5.	पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में किडनी ट्रान्सप्लान्ट का कार्य प्रारंभ करने हेतु, संस्थान के ट्रान्सप्लान्ट विभाग एवं नेफ्रोलॉजी विभाग के लिए विभिन्न स्तर के कुल 88 (अट्ठासी) नये पदों के सृजन की स्वीकृति।	5. **स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

6. राज्य सरकार द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष से अधिप्राप्ति कार्य के प्रबंधन हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि पर ब्याज दर 9% से घटाकर 7% करने, जिससे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को 7.25% एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से पैक्स/व्यापार मंडलों को 8% वार्षिक ब्याज दर पर कैश–क्रेडिट ऋण उपलब्ध हो सके, की स्वीकृति के संबंध में। 6. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. नवादा जिलान्तर्गत 132/33 के०भी० ग्रीड–सब–स्टेशन निर्माण हेतु वारिसलीगंज अंचल के मौजा–बासोचक, थाना सं०–476, खाता सं०–81, खेसरा सं०–25, कुल रकबा– 5.00 (पाँच) एकड़ अनाबाद बिहार सरकार किस्म पुरानी परती (गैर मजरूआ खास) भूमि 71,000/– (एकहत्तर हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 3,55,00,000/– (तीन करोड़ पचपन लाख) रू० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य अर्थात 4,43,75,000/–(चार करोड़ तैंतालिस लाख पचहत्तर हजार) रू० सहित कुल–7,98,75,000/–(सात करोड़ अनठानवे लाख पचहत्तर हजार) रू० के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में। 8. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9. राज्य में सरकारी सेवाओं में पदों का वर्गीकरण। 9. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

10. राज्य की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर (Pay-Level) आधारित कालावधि निर्धारण के संबंध में। 10. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

11. राज्य के विभिन्न जिलों में अर्जित भूमि पर कुल 24 थाना/ओ०पी० भवन के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 3707.871 लाख (सैंतीस करोड़ सात लाख सतासी हजार एक सौ रू०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में। 11. स्वीकृत।

वित्त विभाग

12 बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से अंतरिम राहत प्रदान करने के संबंध में। 12. स्वीकृत।

वित्त विभाग

13. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दिनांक– 01.01.2016 के प्रभाव से मूल वेतन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत की स्वीकृति के संबंध में। 13. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

14. भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर 100 (एक सौ) सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन की स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

15. संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 18 (अठारह) कनीय अभियंताओं (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक–05.09.2017 से दिनांक– 04.09.2018 तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। 15. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

16. राज्य के तीन (3) जिलों यथा भोजपुर, वैशाली एवं बांका में नवस्वीकृत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए प्रति संस्थान 64 (चौंसठ) शैक्षणिक तथा 51 (इक्यावन) गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 192 शैक्षणिक तथा 153 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 16. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

17. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा L.P.A No. 655/2016 में दिनांक–19.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा एवं पुनरीक्षित परीक्षाफल के आधार पर श्री असीम कुमार ठाकुर सह–प्राध्यापक (असैनिक) को विभाग द्वारा दायर S.L.P में पारित आदेश से अच्छादित होने के शर्त्त के अधीन प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के पद पर दिनांक–02.07.2015 के प्रभाव से औपबंधिक रूप से नियुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। 17. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

18. पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में स्नातकोत्तर पढ़ाई प्रारंभ करने हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक, कुल 25 (पच्चीस) नये पदों के सृजन की स्वीकृति। 18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के नर्सिंग कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के अनुरूप वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में। 19. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. नालन्दा जिलान्तर्गत सरमेरा प्रखंड के प्रणावॉ गाँव में आयोजित श्री श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहब मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में लिये जाने एवं इसे राजकीय मेला का दर्जा देने के संबंध में। 20. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

21. राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत 66.104 पद (क्रमशः नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखड शिक्षकों एवं पंचायत शिक्षक) के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के वेतन भुगतान के लिए क्रमशः नगर निकायों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को सहायक अनुदान मद में कुल 14,36,08,00,000/–(रूपये चौदह अरब छत्तीस करोड़ आठ लाख मात्र) की स्वीकृति एवं विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। 21. **स्वीकृत।**